भारत गरीब देश है। यहां की जनता शीघ्र, सुलभ एवं सस्ता न्याय चाहती है। मेरा निवेदन है कि न्यायालयों में ग्रीष्म/शरद अवकाश समाप्त करने पर विचार किया जाये। इससे जहां एक ओर लंबित मामलों में कमी होगी वहां दूसरी ओर शासन का शीघ्र, सुलभ और सस्ता न्याय देने का उद्देश्य भी पूरा होगा।

(उन्नीस) झारखंड में बार-बार आने वाली बाढ़ को रोकने के उद्देश्य से इस क्षेत्र में नदियों के बांधों को मजबूत बनाए जाने की आवश्यकता

श्री रूपचन्द मुर्मू (झाड़ग्राम): महोदय, झारखंड के राजमहल, साहेबगंज, उधवा, बरहरवा और पाकुड़ में बाढ़ और मिट्टी कटाव से प्रतिवर्ष पांच लाख लोग प्रभावित होते हैं। फरक्का बांध के गर्भ सेलटिंग होने से चारों ओर पानी फैल जाता है और बाढ़ से करोड़ों रुपये की क्षति होती है। बाढ़ से गंगा का सतह छिछला हो जाने से पानी रुक नहीं पाता है। यहां के निवासियों को इन्दिरा आवास भी उपलब्ध नहीं होता क्योंकि बाढ़ से गंगा नदी का कटाव जारी है और जमीन भी उपलब्ध नहीं है। अभी हाल में केन्द्र सरकार ने करीब करोड़ रुपये की परियोजना की स्वीकृति प्रदान की है परन्तु अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है। बाढ़ से बचाव सरकार के एजेन्डा में भी है।

अत: बाढ़ से बचाने के लिए नदी के किनारे रक्षा बांध का निर्माण और प्रभावित लोगों को आवास के व्यवस्था के साथ-साथ बाढ़ राहत उपलब्ध कराने हेतु त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाये।

(बीस) निजी क्षेत्र में भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को आरक्षण का लाभ दिए जाने की आवश्यकता

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): महोदय, अनुसूचित जाति तथा जनजाति के छात्रों के लिए दिए जाने वाले वजीफे की राशि को मूल्य सूचकांक से जोड़ा जाना चाहिए ताकि वजीफे की रकम अपने आप बढ़ती रहे, क्योंकि इस समय इस समुदाय के छात्रों के लिए जो वजीफे की राशि मिल ही है, वह केवल नाममात्र की है तथा देश के प्रत्येक राज्य में एक नवोदय विद्यालय खोलने की स्थापना की जा जानी चाहिए ताकि अनुसूचित जाति तथा जनजाति के छात्रों को ही उसमें तकनीकी शिक्षा मिले।

इंदिरा आवास योजना मुख्यत: अनुसूचित जाति तथा जनजाति वर्ग के लोगों के लिए ही प्रारंभ की गयी थी, किन्तु अब इस योजना में सभी को शामिल कर लिया गया है, जिसकी वजह से उक्त समुदाय के लोगों की आवास की समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। इसलिए इंदिरा आवास योजना में एक ऐसी कार्य योजना बनायी जानी चाहिए ताकि अनुसूचित जाति तथा जनजाति वर्ग के लोगों को पांच सालों के अंदर निश्चित रूप से आवास जरूर मुहैया करा दिए जायें।

राज्य सभा और राज्यों की विधान परिषदों में अब तक इन जातियों का कोटा तय नहीं किया गया है। यह कोटा आबादी के हिसाब से निर्धारित किया जाना चाहिए तथा इसके लिए वर्ष 2000 को आधार माना जाना चाहिए क्योंकि अब इस तबके की आबादी कम से कम 25 फीसदी तक पहुंच चुकी है और इस सूची में अन्य नयी जातियां भी जुड़ती जा रही हैं। साथ ही उन सरकारी कंपनियों में अथवा निजी कंपनियों में भी अनु.जा./ज.जा. का आरक्षण निश्चित किया जाना चाहिए जिनमें तनिक भी सरकारी भागीदारी हो और आरक्षण में अनु.जा. तथा जन.जाति का उम्मीदवार नहीं मिलने पर इसे पिछड़ा वर्ग को देने की बजाये खाली रखा जाना चाहिए।

अपराह्न 12.52 बजे

सूचना का अधिकार विधेयक, 2004

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मद सं. 19—सूचना अधिकार विधेयक, 2004 के प्रस्ताव पर आगे विचार। अब माननीय प्रधानमंत्री जी बोलेंगे।

प्रधानमंत्री (डा. मनमोहन सिंह): अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस सम्मानित सदन के समक्ष प्रस्तुत एक अति महत्वपूर्ण तथा विशिष्ट विधेयक पर बीच में बोलने का अवसर प्रदान किया।

महोदय, सभी आधुनिक अथवा मिश्र समाजों के संचालन हेतु सशक्त और उद्देश्यपरक सरकार की आवश्यकता होती है। हमारे देश में केन्द्रीय तथा राज्य व स्थानीय निकायों के स्तर पर जो सरकारी खर्च होता है, वह हमारे सरल घरेलू उत्पाद का लगभग 33 प्रतिशत बैठता है। इसके अलावा सामाजिक और आर्थिक आवश्यकताओं के लिए भी सरकार को आर्थिक व सामाजिक कार्य-कलाओं में काफी मध्यक्षेप करना होता है। अतएव, सरकारी प्रक्रियाओं की दक्षता और प्रभावकारिता ऐसे महत्वपूर्ण कारक हैं जो हमारी सरकार की कार्य कुशलता निर्धारित करते हैं और यह भी कि वह जनता द्वारा उसे प्रदत्त उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने में किस हद तक खरी उतरती है।

मेरा हमेशा से मानना रहा है कि शक्ति एक पवित्र सामाजिक संपत्ति की तरह है, आप उस पर कुंडली मारकर नहीं बैठ सकते, आपको उसका व्यय करना होता है, बहुजनों के हित को सोचकर व्यय करना होता है। अत:, यह अनिवार्य हो जाता है कि प्रक्रियाएं तो चले ही, तथापि हम यह सुनिश्चित करें कि उन पर व्यय दक्षता और प्रभावकारिता के आधार पर ही हो। हम जानते हैं कि हमारे देश में फिजूलखर्ची, भ्रष्टाचार और सरकार के कामकाज को लेकर

[डा. मनमोहन सिंह]

बहुत शिकायतें की जाती है। इसलिए यह बहुत जरूरी बात है कि हम यह सुनिश्चित करने के नये रास्ते ढूंढे कि हमारी सरकार प्रभावपूर्ण, प्रयोजनपूर्ण ओर दक्षतापूर्ण तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभाए। इस नए तत्कालिक उपाय जो अभी इस सम्मानित सभा के समक्ष प्रस्तुत है, अर्थात सूचना-अधिकार विधेयक के पीछे यही सोच है।

महोदय, किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के सफल कार्यकरण के लिए आवश्यक है कि नागरिक अपने द्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के कामकाज का अवलोकन और मूल्यांकन कर सकें और उनके कार्य के बारे में तार्किक फैसला दे सकें। ऐसे मूल्यांकन के लिए अपेक्षित हो जाता है कि नागरिक को आकलन करने के लिए आवश्यक सूचना भी सरलता से उपलब्ध हो। और फिर, हमारे विधान-निर्माताओं ने अधिकारों और कर्तव्यों, निरीक्षण और परीक्षा का एक विशद तंत्र भी कायम किया है, एक ऐसा तंत्र जिसमें सरकार के विभिन्न स्तरों पर शक्ति का स्पष्ट विभाजन किया गया है। यह जटिल कार्यतंत्र, जिसे हमारे कानूनों, प्रक्रियाओं, नीतियों और कार्यक्रमों द्वारा व्यवहृत किया जाता है—हमारी समृद्ध, विविध और स्पंदनशील राजनीति की नींव है जिसे उसकी उस विशेषता के लिए दुनिया भर में आदर मिलता है कि वह आर्थिक विकास के लक्ष्यों और एक बहुलतावादी लोकतांत्रिक समाज की आकांक्षाओं का सुसमन्वय कर सकती है।

महोदय, इस गूढ़ तंत्र के केन्द्र में है हमारे देश का आम आदमी, जिसकी स्मृद्धि और कल्याण ही हमारे संविधान का प्रमुख लक्ष्य है। यह आम आदमी या आम स्त्री ही हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली की धुरी है। एक पर्यवेक्षक के रूप में, सूचना चाहने वाले के रूप में, उचित-प्रश्नकर्ता के रूप में हमारे कामकाज के विश्लेषक और अंतिम-निर्णयकर्ता के रूप में।

सं.प्र.ग. सरकार ने न सिर्फ आम आदमी के कल्याण के लिए कार्य करने, बल्कि हमारे विपत्ति-नियंता के रूप में उसकी भूमिका को सबल बनाने का संकल्प लिया है। इसी उद्देश्य से हमारी सरकार ने सूचना-अधिकार विधेयक और अनुवर्ती संशोधनों को इस सम्मानित सभा के समक्ष प्रस्तुत किया है।

अध्यक्ष महोदय, सुदक्ष और प्रभावी संस्थाएं त्वरित आर्थिक और सामाजिक विकास का मार्ग प्रशस्त करती हैं। ऐसी संस्थाएं जो न्यूनतम संभव लागत और अधिकतम संभव दक्षता के साथ वायदों को नीतियों और वास्तविक कार्यक्रमों में बदल सकें। ऐसी संस्थाएं जो किए गए और संभव पर वायदों को पूरा सकें- जैसाकि कुछ दिन पूर्व, बजट प्रस्तुत करते हुए माननीय वित्त मंत्री ने कहा था "परिव्यय, परिणाम बन जाए" और संस्थाओं के दक्षतापूर्वक तथा प्रभावकारी तरीके से काम करने के लिए जरूरी है कि वे पारदर्शी, प्रतिक्रियाशील तथा जवाबदेह तरीके से काम करें। यह बात केवल संस्थाओं की आंतरिक प्रक्रियाओं पर ही निर्भर नहीं करती बल्कि इस बक्त पर भी निर्भर करती है कि जनसामान्य और अन्य बाहरी तंत्र इन संस्थाओं के साथ अपने अधिकारों का उपयोग करने में कितना सक्षम है। महोदय, इस मायने में सूचना-अधिकार विधेयक नागरिकों को एक और अधिकार प्रदान करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि हमारी संस्थाएं और उनमें काम करने वाले कर्मचारी अपने कर्तव्यों का सम्यक तरीके से निर्वहन करें। इससे उनके अधिकारों के प्रवर्तन की दिशा में एक महत्वपूर्ण अधिकार मिल रहा है और नागरिक-अधिकार स्वतंन्त्रता के क्षेत्र में एक बड़ी कमी पूरी हो रही है।

महोदय, वैसे तो वर्तमान में सूचना-स्वातंत्र्य अधिनियम भी विद्यमान है, तथापि, विचाराधीन यह विधेयक और अधिक दूरगामी है और मैं श्रीमती सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का बहुत अभारी हूं जिसकी पूर्ववर्ती विधान की प्रमुख कर्मियों की ओर ध्यान दिलाने में काफी बड़ी भूमिका रही। हमारे द्वारा प्रस्तुत इस विधेयक की पहुंच अधिकतम संभव रखी गयी है और केन्द्रीय व राज्य सरकारों पंचायती राज संस्थाओं, स्थानीय निकायों व सरकारी अनुदान प्राप्तकर्ताओं को इसमें समविष्ट किया गया है। इस विधेयक के तहत सूचना पाने की संभावना विस्तृत है, सीमाएं कम से कम रखी गई हैं—उन्हें भी लोक लाभ प्रदता के आधार पर पार किया जा सकता है, अर्थात् यदि सूचना गुप्त रखने की बजाय उसे जारी कर देने से अधिक लाभ होता हो तो वैसा किया जा सकेगा।

अपराह्न 1.00 बजे

तथापि, मेरा विचार है कि हमें ऐसी सूचना के प्रकटीकरण में छूट देने का भी विचार करना चाहिए जिसके प्रकट होने से संसद या राज्य विधान मंडलों के विशेषाधिकार का हनन होता हो। इसमें सुरक्षा तथा असूचना एजेंसियों, जिन्हें सामान्य तौर पर सूचना प्रकट करने से विलग रखा जाता है को भी भ्रष्टाचार या मानवाधिकार-उल्लंघन के आरोप आदि के मामले में सूचना प्रकट करने के अध्यधीन किया गया है।

इस विधेयक में सूचना प्राप्त करने का जो खाका पेश किया गया वह सरल, सुगम और समयबद्ध और सस्ता है। सूचना उपलब्ध न कराने या सूचना की संरचना में किसी प्रकार का फेरबदल करने पर इसमें सख्त दण्ड का प्रावधान है। वस्तुतः इसमें एजेंसियों पर एक तरह से स्वतः ही सूचना प्रदान करने की बाध्यता की गई है, जिससे सूचनाप्राप्ति की लागत कम हो जायेगी।

महोदय, इसकी एक और प्रमुख विशेषता है—केन्द्रीय व राज्य सूचना आयुक्तों को नियुक्त करके एक स्वतंत्र अपील-व्यवस्था

बनाने का प्रस्ताव व्यापक सूचना प्रकटीकरण-बाध्यताओं और सख्त दण्ड के साथ यह स्वतंत्र अपील-व्यवस्था इस अधिकार को और पैनायन देगी जिससे यह अधिकार सुशासन का एक सशक्त औजार बन सकेगा।

अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक पर चर्चा के दौरान कई माननीय सदस्यों ने अनेक चिंताएं जाहिर की और प्रश्न उठाए। राज्यमंत्री श्री सुरेश पचौरी उनका उत्तर देंगे। मैं तो केवल यह चाहूंगा कि प्रत्येक, विशेकर हमारे लोक सेवक, इस विधेयक को सकारात्मक भाव से ले इसे सरकार का काम अवरुद्ध करने वाले किसी दमनकारी विधान के रूप में न देखे बल्कि सरकार और जनता के बीच संपर्क बढ़ाने वाले एक ऐसे माध्यम के रूप में देखे जो लोकहित में सरकार के कामकाज को अधिक मित्रवत, शुभचिंतकवत और असरदार बनाएगा। महोदय, यही ध्यान में रखकर हमने इस संशोधन के जरिए कारावास के दंड को हटा दिया है। परन्तु, चूक करने वाले कार्मिकों को विभागीय कार्रवाई का सामना अवश्य करना होगा मैं सभी लोक सेवकों से अपील करता हूं कि वे इस विधेयक को सकारात्मक भाव से लेंगे और यह उम्मीद करता हूं कि इससे उनका कामकाज और बेहतर होगा। आखिरकार, हम जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं, उसके समक्ष हमें नतमस्तक होना होता है और उसे हानि पहुंचाने का कोई कार्य हम नहीं कर सकते। यही बात हमारे ईमानदार, परिश्रमी लोकसेवकों के साथ भी है।

मैं चाहूंगा कि हमारी राज्य सरकारें पहल करें और राज्य सूचना आयोगों का गठन करें। हमारे नागरिकों का ज्यादातर संपर्क राज्य सरकारों के नियंत्रणाधीन एजेंसियों से ही होता है, अतएव, इस विधेयक की सफलता देश भर में इस हेतु जनजागृति फैलाने तथा इन प्रावधानों को लागू करने के संकल्प और प्रतिबद्धता पर ही निर्भर है।

महोदय, हमारा काम इस विधेयक को पारित करके ही समाप्त नहीं हो जाता। यह एक नूतन विधेयक है, जिसके अनुसार कार्य करके हमें इसकी समीक्षा करने की भी आवश्यकता रहेगी। अत:, यह ऐसा विधेयक है जिसके परिकलन की सतत समीक्षा करते रहनी होगी। हमें इस विधेयक में परिकलन संस्थाओं और प्रणालियों के स्थापन के लिए सतत प्रयास करना होगा ताकि हमारे लोक सेवक क्षमतापूर्वक इस वास्ते अपने कर्त्तव्यों का पालन करें और, सर्वोपरि, हमारे नागरिकों को मिले इस अधिकार के बारे में उन्हें अवगत कराएं।

अध्यक्ष महोदय, मेरा विश्वास है कि इस विधेयक के पारित होने से हमारे सरकारी कामकाज का एक नया दौर शुरू होगा, कार्यक्षमता और दक्षता का एक नया दौर शुरू होगा, एक ऐसा दौर जो विकास के लाभों का समाज के सभी वर्गों तक पहुंचना सुनिश्चित करेगा, एक ऐसा दौर जो भ्रष्टाचार के जाल को तोड़ेगा। एक ऐसा दौर जो सरकार के हर कदम के पीछे यह सोच बनाएगा कि इससे आम आदमी का भाला हो, एक ऐसा दौर जो हमारे गणतंत्र के विधि-निर्माताओं की आशाओं को पूरा करेगा।

अध्यक्ष महोदय: यदि हम भोजनावकाश न लें तो चलेगा?

कई माननीय सदस्य: जी, हां।

अध्यक्ष महोदय: अब माननीय मंत्री श्री सुरेश पचौरी उत्तर देंगे।

[हिन्दी]

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं राइट टू इंफार्मेशन जैसे महत्वपूर्ण बिल पर हुई चर्चा में भाग लेने वाले सभी माननीय सदस्यों का ह्रदय से आभारी हूं, जिन्होंने इस बिल का समर्थन करते हुए अपने मूल्यवान और उपयोगी सुझाव दिए हैं। माननीय सदस्यों द्वारा सुझाए गए जरूरी मुद्दों पर मैं कुछ कहना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात की शुरुआत महाभारत में कहे गए एक श्लोक से करना चाहूंगा:

तथा संप्रेषियेत राष्ट्रे: राष्ट्रीयां त्व दश्येत
अनेन व्यवहारेण दृष्टाव्याश्च प्रजा: सदा।

अर्थात सबकी राय लेकर शासन जो नीति बनाए और जो निश्चय करे, उसे प्रजा के सामने अवश्य प्रस्तुत किया जाना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि शासन जो भी करे, सरकार जो भी कदम उठाए, उसे जानने का अधिकार प्रजा यानि जनता को होना चाहिए। इसी परदर्शी भावना का परिचायक यह राइट टू इंफार्मेशन बिल है। हमें यह कहते हुए खुशी है कि राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की अध्यक्षा, श्रीमती सोनिया गांधी के कुशल मार्गदर्शन तथा यशस्वी प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यूपीए सरकार ने कामन मिनीमम प्रोग्राम के जरिए देश की जनता से जो वादे किए थे, उनकी पूर्ति की देशा में उठाया गया यह एक महत्वपूर्ण कदम है।

हमने कल इस राइट टू इंफार्मेशन बिल पर चर्चा शुरू की थी और आज इसे पास करने जा रहे हैं। इस बिल को ठोस और अंतिम रूप देने के लिए नेशनल एडवाइजरी कौंसिल, स्टेंडिंग कमेटी, ग्रुप आफ मिनिस्टर्स के महत्वपूर्ण और बहुमूल्य सुझाव हमें